Q. अरस्तू के क्रांति-संबंधी विचारों का आलोचनात्मक परीक्षण करें ?

Ans:- अरस्तू ने क्रांतियों के कारण तथा उनसे बचाव के उपायों की जो विवेचन प्रस्तुत किया है, वह युग-युगों की राजनीतिक व्यवस्थाओं के निमित्त एक व्यवहारिक समाधान प्रस्तुत करता है। अरस्तू के अनुसार "क्रांति का अर्थ राज्य के संविधान की आत्मा में परिवर्तन है,"

असमानता को समस्त राजनीतिक क्रान्तियों का कारण बताया। उसकी यथार्थता का एक भ्रम आदर्श है। उसके समय में यूनान के नगर राज्य के पतन की ओर अग्रसर हो रहे थे। वहाँ का सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक तथा राजनीतिक वातावरण काफी दूषित हो गया था। अरस्तू ने वहाँ की राजनीतिक विप्लव पतन पर गम्भीर चिंतन किया जिसकी व्याख्या उसने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ "Politics" के पाँचवें खंड में की है।

जिसकी यह धारणा थी कि जब नगर राज्य का संविधान परिवर्तित होता है तो राज्य भी बदल जाता है। ऐसे परिवर्तनों को वह क्रांति या विद्रोह का प्रतिफल मानता है। उस युग में यूनानी नगर राज्यों में ऐसे परिवर्तन होते आ रहे थे। एक व्यवहारवादी राजशास्त्री होने के नाते उसने राज्यों में क्रान्ति के स्वरूपों, कारणों तथा उनके बचाव के साधनों का विवेचन करता है। अरस्तू के शब्दों में "जो लोग कुछ मामलों में समान हैं, वे सभी मामलों में समान होना चाहते हैं।" उसने क्रांति को मुख्यत: तीन भागों में विभाजित किया है:-

क्रांति के सामान्य कारण :-

क्रांति के सामान्य कारणों में असमानता या समानता की इच्छा है। जिस राज्य में असमानता की खाई जितनी गहरी होगी, वहाँ क्रांति की संभावना उतनी ही अधिक होगी।

समानता के दो पहलू है – निरपेक्ष समानता और अनुपातिक समानता। निरपेक्ष समानता का अर्थ है कि जीवन के सभी क्षेत्र में समानता का दावा करना। जैसे – प्रजातांत्रिक राज्य में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक स्वतन्त्राएं दी जाती है। वे सरकार के गठन में समान रूप से भाग लेते है। लेकिन इसके साथ – 2 वे धन, विद्या योग्यता एवं अन्य क्षेत्रों में भी समानता का दावा करते है। इसे ही निरपेक्ष समानता कहा जाता है।

अनुपातिक समानता का अर्थ है एक पक्षीय समानता के आधार पर सभी क्षेत्रों में दावा करना। उदाहरण के लिए अमीर व्यक्ति अपने को जनसमूह से पृथक समझते है, क्योंकि वह धन, कुल, वंश या योग्यता के आधार पर गर्व अनुभव करते है। साधारण जनता इस विभेद को सहन नहीं कर सकती और वह विद्रोह कर बैठती है।

क्रांति का दूसरा मूल कारण अन्याय है। असमानता तथा अन्याय दोनों एक-दूसरे से संबंधित है। आर्थिक विषमता अन्याय का एक बहुत बड़ा कारण है। धनी व्यक्ति गरीब व्यक्ति को यदि समाज में उचित स्थान नहीं देता है तो उसे बड़ा दुःख होता है। फलतः राज्य में क्रांति की आग प्रज्वलित होती है।

2) क्रांति का विशेष कारण :– (2)

प्रत्येक व्यक्ति लाभ तथा सम्मान चाहता है यदि राज्य में योग्य व्यक्ति को लाभ तथा सम्मान नहीं मिलता है और अनुचित तरीके से अयोग्य व्यक्ति को लाभान्वित तथा सम्मानित किये जाते है, तो योग्य व्यक्तियों के हृदय में विद्रोह की भावना उठती है।

जब शासक एक-दूसरे के विरुद्ध षड्यंत्र रचना शुरू कर देते है, तथा जनता के हितों की परवाह न करके संविधान के उल्लंघन करते हैं तो वैसी स्थिति में राज्य का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है।

जब व्यक्ति या शासक राज्य के अन्य व्यक्तियों से अपने को श्रेष्ठ समझने लगता है, तब वह राज्य की सत्ता को अपने अधिकार में कर लेता है। इससे राजतंत्र, कुलीनतंत्र, धनिकतंत्र एवं अधिनायकतंत्र का बीजारोपण होता है। इसके विरोध में जनता क्रांति का सहारा लेती है।

क्रांति भय से भी उत्पन्न होती है। अपराध करनेवाले लोगों को दंड का भय बना रहता है। अतः दंड से बचने के लिए वे विद्रोह करते हैं। शरीर और राज्य में बहुत कुछ समता समानता है। जब शरीर के सभी अंगों का विकास आनुपातिक रूप से होता है, तो वह देखने में ~~स्वास्थ~~ स्वस्थ व सुन्दर मालूम होता है। किन्तु यदि शरीर की ~~वृद्धि~~ के किसी भी अंग की वृद्धि असाधारण रूप से हुयी हुई, तो उसकी सुंदरता एवं प्रकृति नष्ट हो जाती है। राज्य में भी विभिन्न वर्ग रहते हैं, जब तक सबों में ~~संतुलन~~ संतुलन है, तब तक राज्य का ~~संतुलन~~ शासन ठीक से चलता है। लेकिन जैसे ही राज्य का कोई विशेष वर्ग अधिक शक्तिशाली हो जाता है, सरकार का रूप परिवर्तित हो जाता है।

चुनाव में काफी षड्यंत्र रचे जाते हैं। जनता इच्छित व्यक्तियों को ही चुनती है चाहे वे अयोग्य ही क्यों न हो। किसी भी राज्य या उपनिवेश में विदेशी आकर बस जाते हैं, जो उस राज्य व उपनिवेश की मूल जातियों से विभिन्न होते हैं, वे आगे चलकर राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति के लिए क्रांति कर बैठते हैं। राज्य में विरोधी तत्वों के रहने से भी क्रांति होती है। अरस्तू ने लिखा है कि पाप-पुण्य तथा अमीरी-गरीबी क्रांति के मुख्य कारण हैं।

यदि राज्य में धनी तथा निर्धन दो वर्गों में शक्ति का संतुलन है तो वे आपस में संघर्ष कर बैठते हैं। जहाँ एक दल प्रबल और एक दल दुर्बल होता है, वहा क्रांति की संभावना नहीं के बराबर रहती है। लेकिन दोनों वर्गों में शक्ति-संतुलन रहने के कारण वे राज्य शक्ति को अपने हाथों में लेना चाहते हैं।

अरस्तू ने कहा है कि छल-बल के द्वारा ही क्रांति लाई जाती है। बल का प्रयोग क्रांति करने के समय या उसके बाद भी किया जाता है। छल दो प्रकार का होता है जनता को छलकर ~~के~~ सरकार में परिवर्तन लाया जाता है